



क्र. / NIGUM/2015

भोपाल, दिनांक / /2015

प्रति

समस्त संयुक्त संचालक  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
मध्यप्रदेश।

**विषय:- नगरीय निकायों के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान, भोपाल की स्थापना कर पंजीकरण मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम १९७३ के अन्तर्गत की गयी है।

संस्थान द्वारा नगरीय निकायों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय लोकसेवकों के क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। इन कार्यक्रमों में विभाग में प्रचलित अधिनियमों एवं नियमों, योजनाओं की उच्च स्तरीय विशेषज्ञता रखने वाले अतिथि विशेषज्ञों (Guest Faculty) के अनुभव का लाभ प्रतिभागियों को दिया जाता है।

प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी संस्थान द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत विभागीय प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया है। प्रशिक्षण पंचाग की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

कृपया पंचाग में वर्णित क्षेत्रों एवं प्रशिक्षण शीर्षक के अन्तर्गत इच्छुक अतिथि विशेषज्ञ (Guest Faculty) जो इसमें रूचि रखते हैं तथा व्याख्यान के लिए सहमत हों, की सूची दिनांक १८.०६.२०१५ तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उनके अनुभव का लाभ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को प्रदान किया जा सके।

संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अतिथि विशेषज्ञों को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में प्रचलित निर्धारित मानदेय के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अखिल कुमार वर्मा)

कुल सचिव

राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान

भोपाल, दिनांक / /2015

पृ. क्र. / NIGUM/2015

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, पालिका भवन, भोपाल।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद, मध्यप्रदेश।

कुल सचिव

राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान

मध्यप्रदेश भोपाल